न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :–031 / 20124

प्रार्थीगण

1 अभेन्द्र कुमार पुत्र श्री छगनलाल पुरोहित
2 रमेश कुमार पुत्र छगनलाल पुरोहित
3 मुकेश कुमार पुत्र छगनलाल जोशी
4 शारदा देवी बैवा भूपत भाई जोशी
5 हितेश भाई पुत्र भूपत भाई जोशी
निवासीगण–जैसला, ग्राम पंचायत–सुथाना
तहसील व जिला–सांचौर

बनाम

अप्रार्थी

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 13.03.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री छगनाराम उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 02.08.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा जैसला पटवार हल्का अचलपुर में प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 102 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा संख्या 103 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 25 रकबा 2.25 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.98 हैक्टेयर आये हुए है। जिसमें प्रार्थीगण के नाम व हिस्से इस प्रकार है 1 अभाराम उर्फ अभेन्द्र पुत्र छगनलाल हिस्सा 1/16 रकबा 0.24875, 2 रमेश पुत्र छगनलाल हिस्सा 1/16 रकबा 0.24875 हैक्टेयर, 3 मुकेश पुत्र छगनलाल हिस्सा 1/16 रकबा 0.24875, 4 शारदा पत्नी भूपत हिस्सा 1/32 राजस्व रेकर्ड में दर्जसूदा आया हुआ है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में नाम इस प्रकार है 1 अभेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल, 2 रमेश कुमार पुत्र छगनलाल पुरोहित, 3 मुकेश कुमार पुत्र छगनलाल जोशी, 4 शारदा देवी बैवा भूपत भाई जोशी, 5 हितेश भाई पुत्र भूपत भाई जोशी साकिनान–जैसला, तहसील व जिला–सांचौर है जबकि प्रार्थीगण गुजरात में निवास करते थे तथा परिवार के बड़े बुजुर्गों ने बचपन में पुकारे जाने वाले नाम राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम पैरा संख्या 1 में वर्णित अनुसार दर्ज कर दिये जबकि प्रार्थीगण के सही नाम व वास्तविक नाम पैरा संख्या 2 में वर्णित अनुसार है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहते है तथा राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया उस वक्त प्रार्थी संख्या 05 नाबालिग होने से प्रार्थी संख्या 05 का नाम नाबालिग हितेश भाई पुत्र भूपत भाई संरक्षक शारदा पत्नी भूपत दर्ज किया गया था जबकि प्रार्थी संख्या 5 अब बालिग है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र [illegible] संख्या 2 में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण के नाम परिवर्तन करवाने हेतु [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 12:00:00 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी राजपैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जो [illegible] ही पत्रावली किया गया। हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी मौजा जैसला पटवार मण्डल अचलपुर में आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण के नाम अभाराम उर्फ अभेन्द्र पुत्र छगनलाल, रमेश पुत्र छगनलाल, मुकेश पुत्र छगनलाल, शारदा पुत्र भूपत व नाबालिग हितेश पुत्र भूपत संरक्षक

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

शारदा पत्नी भूपत जातियान–ब्राहम्ण सा.देह खातेदार दर्ज है, किन्तु प्रार्थीगण अपना नाम परिवर्तन करवाकर प्रार्थना–पत्र में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड राशन कार्ड जन आधार कार्ड एवं जॉब कार्ड इत्यादि के अनुसार करवाना चाहते है इसके समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भवन निर्माण की अनुज्ञा रसीद पी. एम किसान सम्मान निधि योजना की रसीद मय शपथ–पत्र पेश किया है तथा भविष्य में नाम के संबंध में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो इस हेतु उपरोक्त खसरा नंबरान की आराजी में प्रार्थीगण के नाम 1 अभाराम उर्फ अभेन्द्र पुत्र छगनलाल 2 रमेश पुत्र छगनलाल 3 मुकेश कुमार पुत्र छगनलाल 4 शारदा पत्नी भूपत, 5 नाबालिग हितेश पुत्र भूपत संरक्षक शारदा पत्नी भूपत, जातियान ब्राहम्ण की बजाय 1 अभेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल पुरोहित, 2 रमेश कुमार पुत्र छगनलाल पुरोहित, 3 मुकेश कुमार पुत्र छगनलाल, जोशी, 4 शारदादेवी बैवा भूपत भाई जोशी, 5 हितेश भाई पुत्र भूपत भाई जोशी करवाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी राज पैरोकार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैनकार्ड, स्कूल टी.सी. जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि दस्तावेज पेश किये जिसके आधार पर नाम संशोधित किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, स्कूल टी.सी. आवासीय भूमि का पट्टा विलेख, भवन निर्माण अनुज्ञा, जॉब कार्ड एवं प्रार्थीगण द्वारा पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:— आदेश :—

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा जैसला, पटवार मण्डल अचलपुर के पैतृक खातेदारी के खेत खाता संख्या 02, खसरा संख्या 102 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा संख्या 103 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 25 रकबा 2.25 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.98 हैक्टेयर भूमि में 1 अभाराम उर्फ अभेन्द्र पुत्र छगनलाल, 2 रमेश पुत्र छगनलाल, 3 मुकेश पुत्र छगनलाल, 4 शारदा पत्नी भुपत, 5 नाबालिग हितेश पुत्र भुपत संरक्षक शारदा पत्नी भूपत, जातियान–ब्राहाम्ण की जगह 1 अभेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल पुरोहित, 2 रमेश कुमार पुत्र छगनलाल पुरोहित, 3 मुकेश कुमार पुत्र छगनलाल जोशी, 4 शारदा देवी बैवा भूपत भाई जोश, 5 हितेश भाई पुत्र भूपत भाई जोशी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर के नाम पृथक से तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 12:00:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को सा. प. इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner